

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून : दिनांक: ०१ मार्च, 2019

सैनिक कल्याण अनुभाग

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2235 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2002/सै.क./बजट मांग/वार-टू-सेना मेडल/2018-19, दिनांक 26 फरवरी, 2019 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं तत्कम में सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-476/XVII-5/2018-03(02)/2018, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 एवं तत्कम में निर्गत शासनादेश संख्या-355/XVII-5/2018-03(02)/2018, दिनांक 25 फरवरी, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के राजस्व पक्ष में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम, 200-अन्य कार्यक्रम, 03-सैनिक कल्याण-07-वार-टू-सेना-मेडल के पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को एक मुश्त अनुदान/एन्यूटी, 42-अन्य व्यय में कुल प्राविधानित धनराशि रू० 550.00 लाख (रू० पांच करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष पूर्व में दो किश्तों में कुल निर्गत धनराशि रू० 400.00 लाख (रू० चार करोड़ मात्र) के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू० 150.00 लाख (रू० एक करोड़ पचास लाख मात्र) को नियमानुसार संलग्नक एलोटमेन्ट आई०डी० के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के संगत शासनादेशों में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्वतन पर रखे जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त सम्बन्ध में वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018, शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28 मार्च, 2012 तथा सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-476/XVII-5/2018-03(02)/2018, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 एवं शासनादेश संख्या-355/XVII-5/2018-03(02)/2018, दिनांक 25 फरवरी, 2019 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा तथा अवशेष बचत नियमानुसार समर्पित कर दी जायेगी।
3. उक्त स्वीकृत कुल धनराशि रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार एलोटमेंट आई0डी0 संख्या-S1903150236, दिनांक 09 मार्च, 2019 द्वारा जारी किए जा रहे हैं।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-218(म0)/XXVII(3)/2019, दिनांक 08 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।  
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,


(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 362 (1)/XVII-5/2019-03(02)/2018 : तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-01 एवं 03, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

  
(दीप्ती मिश्रा)  
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Soldier Welfare (S046)

आवंटन पत्र संख्या - 362/XVII-5/2019-03((02)/2018

अलोटमेंट आई डी - S1903150236

अनुदान संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक -09-Mar-2019

HOD Name - Director Soldier Welfare & Rahabillitaion (4732)

1: लेखा शीर्षक	2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
	200 - अन्य कार्यक्रम	03 - सैनिक कल्याण
	07 - वार-टू-सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य के सैनिकों को	

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	40000000	15000000	55000000
	40000000	15000000	55000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

15000000

*Y. S. Mirre*

(प्रदीप सिंह रावत)

अपर सचिव

सैनिक कल्याण/लोक निर्माण

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

उत्तराखण्ड शासन